राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :–स्टोर/2013–14/175/52 दिनांक :– 27-8-13

कार्यालय आदेश

राजस्थान आावासन मंडल की 219वीं बैठक के बिन्दु संख्या 219.46 में लिये गये निर्णयानुसार एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.02.12 एवं 01.07.13 के मध्य नजर मंडल मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों हेतु अनुबंधित वाहनों की किराये की मासिक दरें निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:–

विवरण	इंडिका टैक्सी वाहन की स्वीकृत दर	इंडिगो एवं समकक्ष वाहन की दर
1	2	3
1. 1500 कि.मी. तक कार्य क्षेत्र एक शहर होने पर	18000/–	21400/–
2. 2000 कि.मी. तक कार्य क्षेत्र एक जिला होने पर	21000/–	27400/–
3. 2500 कि.मी. तक कार्य क्षेत्र पूर्ण राज्य होने पर	24000/–	30400/–
4. 1500 कि.मी. से ज्यादा कि.मी. चलने पर	6.50 रुपये प्रति किलो मीटर देय होगी	7.50 रुपये प्रति किलो मीटर देय होगी

(1) उक्त दरें दिनांक 08.07.13 से लागू होकर दिनांक 31.3.14 तक प्रभावी रहेगी। राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित टैक्सी वाहनों के किराये की दरों में कमी/वृद्धि किये जाने की दशा में तद्नुसार वाहनों के किराये की राशि में कमी/वृद्धि की जा सकेगी।

(2) जिस कार्यालय के लिये वाहन स्वीकृत है वे कार्यालय उपलब्ध बजट के अनुसार उक्त दरों पर वाहन का संचालन कर सकेगें और संचालित वाहन का भुगतान संबंधित कार्यालय स्तर पर किया जावेगा।

(3) उप आवासन आयुक्त एवं आवासीय अभियंता स्तर तक के अधिकारी इंडिका अथवा समकक्ष टैक्सी वाहन हेतु ही कॉलम संख्या 2 के अनुसार अधिकृत होंगे।

(4) मुख्यालय में कार्यरत संपदा प्रबन्धक/विशेषाधिकारी(भूमि)/वरि. नगर नियोजक/ ए.सी.पी./तहसीलदार/जन सम्पर्क अधिकारी/उप सचिव व पूल वाहन स्वीकृत होने की दशा में इंडिका अथवा समकक्ष श्रेणी के वाहन कॉलम संख्या 2 के अनुसार उपयोग ले सकेंगे।

(5) 5 वर्ष से अधिक पुराना वाहन अनुबन्ध पर नहीं रखा जा सकेगा।

Backup as on 22-5-12\PSTOSECRE\OFFICE ORDER 2010.doc

(6) वाहन प्रदाता /फर्म को 100/–रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।

(7) अनुबंधित वाहन/चालक की अनुपस्थिति रहने पर 750/–रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वाहन प्रदाता /फर्म से शास्ति आरोपित की जाकर राशि की कटौती की जावेगी।

(8) 1500 कि.मी. से अधिक वाहन चलने तथा कार्य क्षेत्र से बाहर वाहन संचालन की दशा में आवासन आयुक्त महोदय की स्वीकृति उपरान्त भुगतान किया जावेगा।

आज्ञा से,

(टीकम चन्द बोहरा)
सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वि.स. एवं मु.ले.अ., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य संपदा प्रबन्धक/निदेशक(विधि)/उप सचिव, राज.आवासन मंडल, जयपुर
4. समस्त अति. मुख्य अभियन्ता .... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त, राज.आवासन मंडल.......
6. लेखाधिकारी, भुगतान/सहायक लेखाधिकारी(स्टोर), राज.आवासन मंडल, जयपुर
7. आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मंडल, खण्ड–...........
8. संबंधित अधिकारी........

सचिव
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर